

कार्यालय : जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-द्वितीय

क्रमांक : स्था0/10/2023/.....5137

दिनांक : 25/10/2023

संशोधित आदेश

(A.)

इस कार्यालय के पूर्व आदेश क्रमांक 4516 दिनांकित 30.09.2023 के द्वारा उक्त आदेश में क्रम सं0 16 पर अंकित श्री शंकर लाल शर्मा, वाहन चालक को वांछित 9 वर्षीय प्रथम चयनित वेतनमान/एसीपी का लाभ दिनांक 27.09.2022 को दिये जाने के संबंध में वेतनस्थिरीकरण संबंधी आदेश जारी किये गये थे, जिसमें टंकणीय त्रुटि होने से उक्त 09 वर्षीय प्रथम चयनित वेतनमान/एसीपी के स्थान पर सहवन से 18 वर्षीय द्वितीय चयनित वेतनमान/एसीपी अंकित हो गया है। अतः श्री शंकर लाल शर्मा, वाहन चालक की 09 की सेवा पूर्ण करने की दिनांक 27.09.2022 को 18 वर्षीय द्वितीय चयनित वेतनमान/एसीपी के स्थान पर 09 वर्षीय प्रथम चयनित वेतनमान/एसीपी पढा/माना जावें।

(B.)

इस न्यायक्षेत्र में कार्यरत निम्नलिखित कर्मचारीगण को उनके नाम के आगे अंकित दिनांक को पूर्व में वांछित चयनित वेतनमान/ए.सी.पी. एवं पदोन्नति पर संबंधित न्यायक्षेत्र, जिसका उल्लेख तालिका के कॉलम सं0 03 में किया गया है, के द्वारा तत्समय नियमों के अन्तर्गत वेतनस्थिरीकरण संबंधी आदेश जारी किये गये थे, जिसे राज्य सरकार के वित्त विभाग के द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक F.15(1)FD/Rules/2017 Part-II दिनांकित 26.07.2023 एवं उक्त आदेश के स्पष्टीकरण दिनांकित 01.08.2023 के क्रम में एतत् द्वारा उक्त पूर्व स्वीकृत वेतनस्थिरीकरण को निम्नानुसार संशोधित/स्वीकृत किया जाता है:-

क.सं.	नाम कर्मचारी मय पद व न्यायालय का नाम	पूर्व में संबंधित न्यायक्षेत्र द्वारा स्वीकृत चयनित वेतनमान/एसीपी अथवा पदोन्नति का विवरण		अधिसूचना क्रमांक F.15(1)FD/Rules/2017 Part-II दिनांकित 26.07.2023 के अनुसार			आगामी वेतन वृद्धि की दिनांक
		न्यायक्षेत्र का नाम व स्वीकृति आदेश क्रमांक एवं दिनांक	देय दिनांक व उक्त दिनांक पर पूर्व में स्वीकृत मूलवेतन	चयनित वेतनमान/ ए.सी.पी अथवा पदोन्नति की दिनांक से पूर्व प्राप्त मूल वेतन एवं पे-लेवल	विद्यमान पे-लेवल में एक वेतनवृद्धि जोड़ते हुए आगामी मूल वेतन	देय एसीपी/पदोन्नति पर वेतन स्थिरीकरण की दिनांक को आगामी पे-लेवल में नियत संशोधित मूल वेतन	
01	02	03	04	05	06	07	08
1.	श्री पवन कुमार शर्मा, लिपिक ग्रेड-आ अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, रेलवे, जयपुर महानगर-आ प्रथम नियुक्ति दिनांक 30.04.2011 लिपिक ग्रेड-आ	अधिसूचना दिनांकित 27.02.2022 की अनुपालना में पूर्व में वेतनस्थिरीकरण निम्न आदेश द्वारा किया गया। जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-आ स्था / 11 / 2022 / 5171 दि. 19.09.2022	30.04.2020 (09 वर्ष) 26300 / - (L-08))	30.04.2020 (09 वर्ष) 25500 / - (L-05)	26300 / - (L-05)	30.04.2020 (09 वर्ष) 27100 / - (L-08)	01.07.2020

2.	श्री रामअवतार मीणा, लिपिक ग्रेड-II, विशिष्ट महानगर मजिस्ट्रेट, (एन.आई. एक्ट) क्रम सं0 03, जयपुर महानगर-II प्रथम नियुक्ति दिनांक 27.06.2013 लिपिक ग्रेड-II	अधिसूचना दिनांकित 27.02.2022 की अनुपालना में पूर्व में वेतनस्थिरीकरण निम्न आदेश द्वारा किया गया। जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-II स्था/11/2022/4882 दि. 03.09.2022	27.06.2022 (09 वर्ष) 27100/- (L-08)	27.06.2022 (09 वर्ष) 26300/- (L-05)	27100/- (L-5)	27.06.2022 (09 वर्ष) 27900/- (L-08)	01.07.2022
----	--	--	---	---	------------------	---	------------

नोट:-

- उपरोक्त तालिका में उल्लेखित कर्मचारीगण को उनके नाम के सम्मुख कॉलम 07 में उल्लेखित दिनांक से दिनांक 31.03.2023 तक की कोई एरियर राशि नियमानुसार देय नहीं होगी एवं दिनांक 01.04.2023 से समस्त वित्तीय लाभ नगद देय होंगे।
- उक्त आदेश का इन्द्राज संबंधित कर्मचारीगण की सेवापुस्तिका में किया जावे।

sd -
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर-द्वितीय

दिनांक : 25/10/2023

क्रमांक : स्था0/10/2023/5138

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- प्रभारी अधिकारी (लेखा शाखा), जिला न्यायालय, जयपुर महानगर-द्वितीय।
- श्रीमान् कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर।
- संबंधित न्यायालय जयपुर महानगर-द्वितीय (संलग्न सेवापुस्तिका)
- संबंधित कर्मचारी
- सिस्टम ऑफिसर को न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- आदेश पत्रावली/संबंधित पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

3
जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जयपुर महानगर-द्वितीय